

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर

सार्वजनिक सूचना

शासन के आदेशानुसार नगर निगम सहारनपुर की सीमान्तर्गत स्थित प्रत्येक व्यवसाय की अनुज्ञा आवश्यक है। जिसके e-nagarsewaup.gov.in, saharanpurnagarnigam.in से मोबाईल द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। बिना व्यवसायिक लाईसेन्स रजिस्ट्रेशन के नगर में व्यवसाय करने पर 20 रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड शुल्क का प्रावधान है।

अतः जन सामान्य से अनुरोध है कि अपने-अपने व्यवसाय का निर्धारित लाईसेन्स शुल्क तत्काल जमा कर 20 अप्रैल 2018 तक लाईसेन्स प्राप्त कर लें अन्यथा अनुज्ञा की धनराशि सिविल न्यायालय में बालान कर वसूल की जायेगी। जिसके लिये आप संशय उत्तरदायी होंगे।

नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर

पत्रांक: 2476 / सम्प0अनु0 / 2017-18

दिनांक: 29/03/18

प्रतिलिपि-

3. प्रधान सम्पादक दैनिक हिन्दुस्तान व अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ अपने सम्मानित पत्र में न्यूनतम स्पेस (9 फांट) में प्रकाशित कर तीन प्रतियों सहित डी0ए0वी0पी0 दर पर बिल प्रस्तुत करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एन0आई0सी0 सहित सभी प्रमुख पत्र में निशुल्क प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर

1/Caril.
29/03/18.